

परिशिष्ट-अ

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1459 की जानकारी  
(प्रश्नांश "क" के लिए)

क्र	नगर पंचायत इन्दरगढ़ में उपयोग हो रहे वाहन श्रय का है या किराये का है	वाहन का नाम	पंजीयन क्रमांक	वाहन यदि किराये का है तो वाहन मालिक का नाम	वाहन चालक का नाम	इंजियरिंग लायसेंस का विवरण	वाहन के बीमा का विवरण	वाहन यदि किराये का है तो अनुबंध का विवरण	वाहन के किराये का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नगर पंचायत इन्दरगढ़ में उपयोग हो रहे वाहन स्वयं के है	फायर विरोध	MP32-DA-0105	इस निकाय द्वारा वाहन किराये पर नहीं लिये गये है	1. विनोद बंशकर 2. अनवर खा	MP32R-2014 0000235 MP32R-2014 0000240	पोलिसी नं. 321402/31/15/67 0006257 दि.31.3.16 से 30.3.17 तक	इस निकाय द्वारा वाहन किराये पर नहीं लिया गया है इसलिये अनुबंध कराये जाने का प्रश्न ही नहीं है	इस निकाय द्वारा वाहन किराये पर नहीं लिया गया है
2		टाटा टिपर	MP32-LA-0321		महलवान बाल्मीक	MP32R-2015 0040214	3381/00406709/00 0/00 दि.05.02.16 से 04.02.17 तक		
3		टाटा टिपर	MP32-LA-0322		नोहन बाल्मीक	MP32N-2012 0009972	3381/00406718/00 0/00 दि.05.02.16 से 04.02.17 तक		
4		ट्रेक्टर न्यू हॉलेण्ड		अभी पंजीयन नहीं हुआ है। पंजीयन की कार्यवाही प्रचलित है।	राकर शरे	S-1521/1989	अभी बीमा नहीं हुआ है बीमा की कार्यवाही प्रचलित है।		
5		ट्रेक्टर न्यू हॉलेण्ड		अभी पंजीयन नहीं हुआ है। पंजीयन की कार्यवाही प्रचलित है।	सुरेश बाल्मीक	MP32R-2014 0039258	अभी बीमा नहीं हुआ है बीमा की कार्यवाही प्रचलित है।		
6		ट्रेक्टर जेटर 2511		अभी पंजीयन नहीं हुआ है। पंजीयन की कार्यवाही प्रचलित है।			अभी बीमा नहीं हुआ है बीमा की कार्यवाही प्रचलित है। 1985 मॉडल है। कंडम स्थिति में खा है उपयोग नहीं किया जा रहा है।		

26/7/16  
मुख्य नगर पंचायत इन्दरगढ़  
नगर पंचायत इन्दरगढ़  
जिला कौशल (पंचायत)

  
Assistant Engineer  
Urban Administration and Development  
M.P. Bhopal

  
अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन  
नगर विकास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

परिशिष्ट "ख"

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-16/2012/नियम/चार  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त कमिश्नर  
समस्त कलेक्टर  
मध्यप्रदेश ।

विषय- विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा वाहन किराये पर लिए जाने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त ।  
संदर्भ- वित्त विभाग का समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 6-10-2012 .

-----

संदर्भित ज्ञाप द्वारा विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा वाहन किराये पर लिये जाने संबंधी जारी मार्गदर्शी निर्देशों को अधिक व्यावहारिक स्वरूप देने के लिए एतद् द्वारा निम्नांकित संशोधन किए जाते हैं :-  
कॉडिका 2(1) वाहन किराये पर लेने की स्वीकृति पूर्वानुसार वित्त विभाग द्वारा दी जावेगी । वाहन किराये पर लेने की व्यवस्था संबंधित विभागाध्यक्ष की सहमति से जिला कार्यालय प्रमुख द्वारा की जा सकेगी ।  
कॉडिका 2(4) जिन अधिकारियों हेतु वाहन किराये पर लिये जा रहे हैं उन अधिकारियों के मूल पद के ग्रेड वेतन के आधार पर वाहन किराये पर लिये जाने हेतु निम्नानुसार पुनरीक्षित मापदण्ड निर्धारित किए जाते हैं :-

क्र.	मूल पद का ग्रेड वेतन	वाहन की अधिकतम लागत सीमा
1.	₹ 7600 तक	₹ 5.50 लाख
2.	₹ 8700 एवं ₹ 8900	₹ 6.50 लाख
3.	₹ 10000 एवं एच.ए.जी. वेतनमान	₹ 7.50 लाख

कॉडिका 2(9) उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर विभागाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष की सहमति से जिला कार्यालय प्रमुख द्वारा प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन कर उत्तरकारी निविदाओं (responsive tenders) को क्रम बद्ध कर संविदा प्रदाय हेतु सफल निविदाकेतार का चयन किया जाये ।

कॉडिका 2(10) संविदा के कार्यान्वयन की अवधि में सेवा प्रदाता द्वारा संविदा का निष्पादन भली प्रकार किया जा रहा है इसका निरंतर परीक्षण (Monitoring) भी विभागाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष की सहमति से जिला कार्यालय प्रमुख द्वारा सुनिश्चित किया जाये ।

2/ कॉडिका 2(4) अनुसार पुनरीक्षित सीमायें वर्तमान संविदा अवधि समाप्ति के पश्चात ही प्रभावी होगी ।  
3/ कॉडिका-2(4) में प्रस्तावित सीमायें अधिकतम राशि का वाहन किराये पर लिये जाने से संबंधित है। यह कॉडिका वाहन किराये पर लेने की अधिकारिता प्रदान नहीं करती ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

( मनीष रस्तोगी )  
सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

Assistant Engineer  
Urban Administration and Development  
M.P. Bhopal

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

## वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 (प्रश्नांश "ग" के लिए)

क्रमांक	वाहन का प्रकार	डीजल पर व्यय राशि	दिनांक	मरम्मत पर व्यय राशि	दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	ट्रैक्टर एवं टाटा टिपर	33158.00	08.04.2015	4710.00	13.04.2015
		33338.00	13.05.2015	1500.00	12.05.2015
		47294.00	03.07.2015	720.00	01.06.2015
		45676.00	06.08.2015	500.00	10.06.2015
		30090.00	22.09.2015	3690.00	15.06.2015
		29502.00	21.10.2015	1020.00	24.06.2015
		30258.00	09.11.2015	240.00	20.07.2015
		61570.00	20.01.2016	11950.00	30.07.2015
		50358.00	04.03.2016	2490.00	12.08.2015
		31022.00	28.03.2016	600.00	16.09.2015
		44044.00	26.05.2016	23710.00	22.09.2015
		45550.00	22.06.2016	3795.00	03.10.2015
				1725.00	20.10.2015
				3840.00	28.10.2015
				2300.00	27.11.2015
				940.00	29.12.2015
				6540.00	31.12.2015
				2150.00	20.01.2016
				5220.00	02.02.2016
				8850.00	10.02.2016
				5600.00	17.02.2016
				7240.00	23.02.2016
				2020.00	11.03.2016
				300.00	13.04.2016
				650.00	02.05.2016
				11658.00	26.05.2016
				2570.00	08.06.2016
				750.00	14.06.2016
				1700.00	22.06.2016
	योग	481860.00		118978.00	
2	फायर वियेड	6418.00	08.04.2015	1710.00	16.04.2015
		37841.00	13.05.2015	14750.00	12.05.2015
		26006.00	03.07.2015	420.00	09.06.2015
		6904.00	06.08.2015	2180.00	10.06.2015
		6121.00	22.09.2015	21335.00	15.06.2015
		5966.00	09.11.2015	11134.00	24.06.2015
		6096.00	20.01.2016	300.00	06.08.2015
		39805.00	02.05.2016	1760.00	20.10.2015
		27163.00	22.06.2016	3340.00	09.11.2015
				3000.00	27.11.2015
				1030.00	11.03.2016
				16706.00	17.03.2016
				2892.00	02.04.2016
				199500.00	06.04.2016
				19090.00	02.05.2016
				2900.00	06.05.2016
				6750.00	08.06.2016
				640.00	20.06.2016
	योग	164320.00		309437.00	

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग  
अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग  
मन्त्रालय, भोपाल